

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 10.09.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- ❖ थाना रनियां पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकित गुप्ता पुत्र श्री गोरेलाल निवासी ग्राम उमरन थाना रनियां जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 27 वर्ष के कब्जे से 18 पेटी प्रत्येक में 45 क्वार्टर कुल 810 टेट्रा पौव्वे जिसमें 03 अदद पेटियाँ जानेमन ब्राण्ड, 08 अदद पेटियाँ ट्विन टॉवर ब्राण्ड व 07 अदद पेटियाँ इण्डिन टाइगर ब्राण्ड नाजायज अवैध देशी शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 158/25 धारा 60/72 उ0प्र0 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त बृजेन्द्र सिंह उर्फ सोनू बाबा पुत्र हनुमन्त सिंह निवासी बिनपुरा थाना दिबियापुर जनपद औरैया उम्र करीब 48 वर्ष के कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल 32 बोर व 02 अदद कारतूस 32 बोर जिन्दा बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 296/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सुमित कुमार उर्फ सोनू पुत्र श्री शिव सिंह निवासी ग्राम हरी सिंह की मडैया थाना दिबियापुर जनपद औरैया उम्र करीब 30 वर्ष के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी राइफल सिंगल राउण्ड 315 बोर चालू हालत व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 297/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अ0सं0-378/2000 धारा 21 माइनर अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त रामस्वरूप पुत्र राजाराम निवासी जुलेठी अमरोधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 13 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रूरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना बरौर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना शिवली पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।